उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-27/2016/एस-2-553/दस-2016-33(15)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 04 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-एस-2-2211/दस-2015-33(37)/2015, दिनॉक 08-9-2015 द्वारा वित्त एवं लेखाधिकारी पद से पदावनत श्री रमेश सिंह द्वारा प्रत्यावर्तन के विरूद्ध प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनॉक 14-9-2015 पर प्राप्त निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ की संस्तुति एवं कार्मिक विभाग के परामर्श के आलोक में श्री रमेश सिंह की रोकडिया के पद पर पदोन्नति की तिथि तक के कोई भी रोकडिया, मुख्य रोकडिया के पद पर पदोन्नत से वंचित नहीं होने के तथ्य के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्री रमेश सिंह को मुख्य रोकडिया के पद पर दिनॉक 12-11-2012 तक पदावनत किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

<u>संख्या-27/2016/ एस-2-553(1)/दस-2016, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- जिलाधिकारी, गोण्डा/ बिजनौर।
6- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गोण्डा/बिजनौर।
7- संबंधित कर्मचारी।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।